

**सेटल स्पॉटिन्ग योजना जमीन घोटाला!!!**

**कांग्रेस राज में अनुसूचित जाति/जनजाति की  
जमीनों को सवर्णों को बेचने का चल रहा  
सुनियोजित खेल!!!**

**इस बंदरबाट में मंत्री, सत्री,  
भूमाफिया, अफसर अधिकारी, कर्मचारी  
सब शामिल!!!**

भाग-2

## एक भूमाफिया ने खेला पूरा खेल, अनुसूचित जाति के अवार्ड पर किया कब्ज़ा

जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व की रिपोर्ट में सेन्ट्रल स्पाईन योजना में हो रहे जमीन घोटाले के बारे में संश्लेष में बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे यह मामला लोगो तक पहुंच रहा है नित नए खुलासे होते जा रहे हैं।

## राज्य सरकार का आदेश खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा अवार्ड

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27/10/2005 को जारी किये गए परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदार द्वारा निशुल्क भूमि समर्पित करने पर अवाप्तशुदा भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी जिसकी भूमि अवाप्त की गयी है। खातेदार द्वारा बताये गए अन्य किसी व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

## जे.डी.ए. ज़ोन 9 के कारिंदों ने सरकार के आदेश के विपरीत भूमाफिया की पाँवर ऑफ़ अटोर्नी के आधार पर ना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले अवार्ड की प्रक्रिया पूर्ण की बल्कि दिए गए पट्टे पर भी नियम विरुद्ध उल्लेख किया।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भ्रष्टाचार के इस खेल में जे.डी.ए. के अधिकारियों ने आँखे मूंद कर सरकार के आदेश के विपरीत भूमाफिया (सवर्ण वर्ग) की पाँवर ऑफ़ अटोर्नी के आधार पर ना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले अवार्ड की प्रक्रिया पूर्ण की बल्कि दिए गए पट्टे पर भी नियम विरुद्ध मुख्त्यार ए आम की फोटो और लीजधारक के रूप में उसके नाम का उल्लेख कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में यह फाइल जे.डी.ए. के तत्कालीन आयुक्त, सचिव, निदेशक (विधि) तक भी कई बार गयी लेकिन किसी ने भी इस दलाल की पाँवर ऑफ़ अटोर्नी पर ऊँगली नहीं उठाई।

## पट्टे की शर्तों के विपरीत एक साल में दो बार बिकी जमीनें।

पट्टे में अंकित शर्त संख्या 7 के अनुसार रियायती दर पर आवंटित उक्त भूखंडो का किसी प्रकार से हस्तांतरण इन भूखंडो के आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पूर्व नहीं किया जा सकेगा। परन्तु इन पट्टा धारकों द्वारा उक्त जमीनो भूखंडो को रजिस्टर्ड पाँवर ऑफ़ अटोर्नी के जरिये गोविन्द खंडेलवाल को बेच दी और गोविन्द खंडेलवाल ने इन्हें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तृतीय पक्ष को बेच दी।

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प0 6 (29) नवि / 3 / 2004

जयपुर, दिनांक : 27.10.2005

परिपत्र

जयपुर विकास प्रधिकरण / राजस्थान आवासन मण्डल / नगर विकास न्यास / स्थानीय निकायों की योजनाओं के लिए आपसी समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में प्रक्रिया को सरल करने तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि पर योजना का समय पर क्रियान्वयन हो सके, इस दृष्टि से भूमि के खातेदार द्वारा भूमि के निःशुल्क समर्पित करने पर मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि दिये जाने के प्रावधान किये गये । वर्तमान में भूमि की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि पर्याप्त मुआवजा नहीं मानते हुये किसानों द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया । अतः पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों / आदेशों को अधिकृत करते हुये निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदार द्वारा निःशुल्क भूमि समर्पित करने पर अवाप्तशुदा भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है । खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा ।
2. अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले विकसित भूमि खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में से या उस योजना में जिसके लिये भूमि अवाप्त की जानी है में ही आवंटन किया जा सकेगा । यदि भूमि का आवंटन उसी भूमि / योजना में संभव नहीं हो तो अवाप्तशुदा भूमि का नकद मुआवजा देय होगा ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27/10/2005 को जारी किया गया परिपत्र जिसमें खातेदार द्वारा बताये गए अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि आवंटन नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।

कार्यालय टिप्पणी  
जयपुर विकास प्राधिकरण

54

श्री कालूराम, कैलाश, रामादेवी, भूरी देवी, नन्ही देवी, सोनी देवी ने जरिये मु. आम श्री गोविन्द खण्डेलवाल निवासी 90 अर्जुन नगर, डालडा फैंक्ट्री के पीछे, दुगांपुरा, जयपुर की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ, कैलाश बलाई पुत्र श्री नहनूराम बलाई निवासी ग्राम महल पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर का प्रार्थना पत्र ईकरारनामा/घोषणा/शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत कर जविप्रा की आवासीय योजना सैन्ट्रल स्पाईन मे आरक्षण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 153/सी से 169/सी पर अवलोकनीय है।

प्रकरण ग्राम महल तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 279 से 284, 286 से 288 कुल किता 9 कुल रकबा 4.08 हैक्टे. भूमि जविप्रा की आवासीय योजना सैन्ट्रल स्पाईन मे अवाप्त कर ली गयी थी जिसके खातेदारों द्वारा समर्पणनामा प्रस्तुत कर 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि का आरक्षण पत्र चाहा गया है।

भूमि का स्वामित्व मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील सांगानेर	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1.	महल	कालूराम पुत्र मंगलाराम हि. 1/4 कैलाश पुत्र नहनूराम हि. 1// रामादेवी पत्नी स्व० श्री गुल्ला, भूरी देवी, नन्ही देवी, सोनी देवी पुत्रियां स्व० गुल्ला ब.हि.ब. हि. 1/2 जाति बलाई सा.देह	279 280 281 282 283 284 286 287 288	0.03 0.15 0.01 0.08 0.35 2.07 0.46 0.20 0.73
			कुल किता 9	रकबा 4.08 हैक्टे.

उपरोक्त समस्त खातेदारान द्वारा ईकरारनामा/समझौता पत्र/क्षतिपूर्ति बंध पत्र/शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये है जो पत्रावली मे अवलोकनीय है।

खातेदार कालूराम पुत्र मंगलाराम, रामादेवी पत्नी स्व० श्री गुल्ला, भूरी देवी, नन्ही देवी, सोनी देवी पुत्रियां स्व० गुल्ला जाति बलाई द्वारा जरिये मु.आम. श्री

-सा. स्टोर-2019

मु.आम. क अधिकार अधिनियम 2015 के अन्तर्गत जारी

आ.मु.आम. क. 19 153/सी से 169/सी पर अवलोकनीय

मुख्यार ए आम गोविन्द खंडेलवाल के नाम से चल रही पत्रावली

(55)

कार्यालय टिप्पणी  
जयपुर विकास प्राधिकरण

गोविन्द खण्डेवाल निवासी 90, अर्जुन नगर, डालडा फैक्ट्री के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर को जरिये रजिस्टर्ड मुख्तयारनामा आम नियुक्त किया है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 72/सी से 126/सी पर अवलोकनीय है।  
इस प्रकार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान के समस्त खातेदारान द्वारा भूमि का समर्पणनामा प्रस्तुत किया है।

श्रीमान सिंह

का. वि. प्रा. - सा. स्टोर - 2019

46. प्रकरण मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3005/2003 निर्णय दिनांक 01.06.2019, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1786/2001 निर्णय दिनांक 01.06.2019, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 4770/2016 निर्णय दिनांक 12.05.2017 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 4345/2008 निर्णय दिनांक 27.05.2019 के द्वारा निर्णित हो चुकी है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 137/सी से 151/सी तक अवलोकनीय है।

47. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे याचिका संख्या 14471/2013 लम्बित है लेकिन उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही है

48. अतः पत्रावली आरक्षण पत्र जारी किये जाने की सक्षम स्वीकृति हेतु श्रीमान् सचिव महोदय के माध्यम से श्रीमान् आयुक्त महोदय को भिजवाया जाने हेतु प्रस्तावित है।  
25.9.19

49. A.O.  
Kindly perse pane 43-48/N  
Land measuring 4.08 Hect in Mahal  
Central Spina Yajna already under  
acquisition is being surrendered  
by khatedars through Power of Attorney  
holder under sec. 4A of IDA Act.  
Earlier there was dispute between  
khatedars and Vikas Samiti of Housing  
Society.  
The Vikas Samiti of Shyam Vihar

ज.वि.प्रा.-सा. स्टोर-2019

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2005 के तहत जारी

सर्वेक्षण  
आयुक्त जमान-9 एवं लोक संयुक्त अधिकारी

मुख्तयार ए आम गोविन्द खंडेलवाल के नाम से चल रही पत्रावली



111

यह इकरतमामी को आज 200 के वे दिन एक और जयपुर 1/1/2018  
 विकास प्राधिकरण जिनके बाढ़ प्राधिकरण काला संबोधित किया गया है और/सही मोड श्री 2090  
 निवासी जाम जलम लट साजीव 20

(जिनको इसके लीजधारक कहकर संबोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुत्ताकिल अलौह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।  
 इस बात का साक्षी है कि रुपये 21,81,000 अंकेन रुपये 21,81,000 मात्र  
 की रकम के नजराना जो लीजधारक के द्वारा अदा कर दिया गया है, और जिसकी रसीद जयपुर विकास प्राधिकरण इसके द्वारा स्वीकार करती है, और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे, के एवज में जयपुर विकास प्राधिकरण इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जिसे इसके बाद उक्त जमीन कह कर संबोधित किया गया) प्रदान और लीज करती है जो योजना 2-2/1 पारन प्लॉट B/N/C में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गए परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बन्धनों, शर्तों और करारों के आधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात्:-

- लीजधारक जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे प्राधिकरण समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त जमीन के सम्बन्ध में शहरी जमाबन्दी के तौर पर रुपये 286720/- लीज वारि 06 मुस्त अमाक रुपये 286720/- के तौर पर पेशगी अदा करेगा।
- लीजधारक द्वारा उक्त जमीन के लिये देय शहरी जमाबन्दी कम से कम पन्द्रह वर्ष की प्रत्येक उत्तरोत्तर अवधि के अन्त में दोहराई जा सकेगी। किन्तु ऐसे किसी पुनरीक्षण के समय कोई बढ़ोतरी हो तो वह उस शहरी जमाबन्दी की रकम से जो उसे तुरन्त पूर्व अवधि में काबिल अदा थी इसके सम्बन्ध में ऐसी दोहराने की कार्यवाही की गई है। पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। निर्माणाधीन यदि भूमि का हस्तान्तरण, गिफ्ट आदि किसी भांति से होने पर शहरी जमाबन्दी की राशि ऐसे प्रत्येक संरोधन या हस्तान्तरण के साथ 25 प्रतिशत बढ़ जावेगी।
- उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदा नहीं करने पर प्राधिकरण ऐसी रकम या अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
- उक्त जमीन का उपयोग केवल व्यवसाय प्रयोजन हेतु किया गया जावेगा एवं उस पर केवल व्यवसाय उपयोग हेतु निर्माण किया जावेगा।
- इस तहरीर दस्तावेज की तारीख से दो वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो एतदर्थ प्राधिकरण द्वारा बढ़ा दी जावे खरीददार उक्त इमारत को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शों या नक्शों के अनुसार और इमारत बनवाने के ऐसे नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए, बनवाकर पूरा कर लेगा जो उक्त सभ्य क्षेत्र या स्थल पर जिसमें या जहाँ उक्त जमीन स्थित हो लागू होते हों, और तब तक इस तरीके पर उक्त जमीन पर इमारत न बना लेगा लीजधारक उक्त जमीन का प्राधिकरण के अलावा किसी को बेचान या बंधक या हिवा नहीं कर सकेगा।
- लीजधारक उक्त जमीन या उस पर बनवाई गयी इमारत या इमारतों या उन दोनों के किसी भाग के किसी ऐसे आशय के लिए पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना प्राधिकरण की लिखित स्वीकृति के न करने वाले हैं।
- रियायती दर पर आवंटित उपरोक्त भूखण्ड का किसी प्रकार से हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 10 वर्ष पूर्व नहीं किया जा सकेगा, इस वर्ष बाद भी भूखण्ड का हस्तान्तरण राज्य सरकार/प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित लेवी या इम्पोस्ट की राशि के भुगतान के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
- शुद्ध आवंटन द्वारा उपरोक्त शर्तों के विपरीत भूखण्ड का उपयोग हस्तान्तरण (किसी भी भांति) किया गया तो भूखण्ड प्राधिकरण में स्वतः ही निहित हो जायेगा और उसके प्रति किसी प्रकार का मुआवजा पाने का आवंटन को कोई अधिकार नहीं होगा इसके साथ ही आवंटन भविष्य में भी भूखण्ड पाने का अधिकारी नहीं होगा।
- यदि नजराना अथवा शहरी जमाबन्दी नियत तिथि तक जमा न की गई तो बकाया रकम पर नियमानुसार समय-समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से ब्याज व श्रांति देय होगी।
- नोट:- इस प्लॉट की सालाना शहरी जमाबन्दी ..... को ..... रु. होती है। अतएव स्टाम्प नं. .... सं. .... बहसियत बेचान इसके साथ लगाये जाते हैं। (क.प.उ)



पट्टे में अंकित शर्त संख्या 7 के अनुसार रियायती दर पर आवंटित उपरोक्त भूखंड का किसी प्रकार से हस्तांतरण आवंटन कि तिथि से 10 वर्ष पूर्व नहीं किया जा सकेगा। परन्तु इन पट्टा धारकों द्वारा उक्त जमीन को रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अटोर्नी के जरिये गोविन्द खंडेलवाल को बेच दी और गोविन्द खंडेलवाल ने इसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा तृतीय पक्ष को बेच दी।

अबू सुफियान चौहान के हस्ताक्षर



फरदे का नाम : जयपुर पूर्व ..... विषय ..... प्लॉट की संख्या यदि कोई हो B/N/C-8  
विस्तृत नाप सहित सीमा उत्तर ..... दक्षिण ..... का नाम अ. सु. चौहान मानचित्र संलग्न है।  
क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 512 वर्ग मी.  
इसके साक्षी के रूप में इस फरदे के अंक के बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों पर तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर करने हैं।



प्राधिकरण की ओर से  
20.11.20 के माह ..... वें दिन  
अ. सु. चौहान  
जयपुर विकास प्राधिकरण, ने निर्मित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये

Handwritten signature of Abul Sufayan Chohan, circled in red.

साक्षी :-  
1. नाम .....  
पुत्र .....  
व्यवसाय .....  
निवास स्थान .....  
2. नाम .....  
पुत्र .....  
व्यवसाय .....  
निवास स्थान .....

साक्षी  
साक्षी  
लीजधारक

पट्टे के पीछे लगी गोविन्द खंडेलवाल की फोटो।

अंकित ..... मसू 20 ..... के .....  
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में कृत की  
गोविन्द खंडेलवाल  
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण में हस्ताक्षर किये

लीजधारक के रूप में गोविन्द खंडेलवाल के हस्ताक्षर

साक्षी :-  
1. नाम .....  
पुत्र .....  
व्यवसाय .....  
निवास स्थान .....  
2. नाम .....  
पुत्र .....  
व्यवसाय .....  
निवास स्थान .....

साक्षी

		Miscellaneous and ancillary work for construction of Ramniwas Bagh Underground parking project Phase-II amounting to Rs. 3,79,85,326/ (contingency amount 4% of total estimate cost)	Project Phase-II. The committee approved the A&F sanction for miscellaneous and ancillary work for construction of Ramniwas Bagh Underground parking project Phase-II amounting to Rs. 3,79,85,326/ (contingency amount 4% of total estimate cost) Committee instructed EE RRP-II to write a letter to JSCL for approving contingency amount against the project.	
19	MS PWC	Ratification of corrigendum issued vide No.ACE-IV/MS/PWC/2019-20/D-04 dated 24.1.2020 in the Agenda item No.9 Presented by DC-13	The Agenda was presented by MS PWC. After discussions and deliberations, the committee ratified the decision of issuing corrigendum for revised plan of Harchandpura Dairy Scheme.	MS PWC
20	DC-11	ग्राम जयसिंहपुरा बास भान्करोटा तहसील सांगानेर के ख० 1040 रकबा 11.87 हे० कुल किता 1 रकबा 11.87 हे० मेसे 9.62 हे० जविप्रा भूमि में प्रस्तावित आवासीय योजना के मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति हेतु	The Agenda was presented by DC-11. After discussions and deliberations, the committee approved the scheme plan of residential scheme at village Jaisinghpura Bas Bhankrota, Tehsil Sanganer on Khasra No. 1040 on 9.62 Ha. of JDA land out of 11.87 Ha.	DC-11
21	EE-10	A&F sanction for the work Renewal & strengthening of BT and improvement of CC Road from Paleda village Hanuman temple to Rahori Village via Benado ki dhani Zone 10 area Jaipur amounting Rs.	The Agenda was presented by EE-10. After discussions and deliberations, the committee approved the A&F sanction for work Renewal & strengthening of BT road and improvement of CC Road from Paleda village Hanuman temple to Rahori Village via Benado ki dhani Zone 10 area, JDA Jaipur amounting Rs.	EE-10
22	DC-9	जविप्रा की योजना सेन्ट्रल स्पाइन के पार्ट एए, पार्ट ए, पार्ट बी एवं जी ब्लॉक में की गयी रिप्लानिंग के अनुमोदन के संबन्ध में	The Agenda was presented by DC-9. After discussions and deliberations, the committee approved the replanning of Part AA, Part A, Part B and G block of JDA Central spine scheme.	DC-9
23	DC-2	जविप्रा की योजना रोप वे लॉअर स्टेशन के भूखण्ड को होटल भूखण्ड में सम्मिलित कर योजना मानचित्र में संशोधन करने बाबत।	The Agenda was presented by DC-2. After discussions and deliberations, the committee deferred the matter with the instructions that matter be put up with clarifications regarding delay in launching the Rope Way Project which was envisaged long back.	DC-2

PWC की दिनांक 06/03/2021 को हुई मीटिंग के मिनिट्स, जिसमें इस योजना की रिप्लानिंग की गयी है। अर्थात् इन अवार्डधारियों के प्लोटों को मुख्य मार्ग पर रीअलोकेट कर दिया गया।

20.	Srinivasan Singh	Box-10	
21.	Suresh Chand Meena	SS (SUA)	
22.	PRAFULLA KUMAR	XEN Elect-I	
23.	Dharmendra Sharma	XEN-8	
24.	R.K. Mahur	XEN-11	
25.	Suresh Datta Meena	EE-12	
26.	R.K.T. Meena	CTP (P)	
27.	Abu Sufiyam Chauhan	DC 04.09	
28.	Ashok Kumar Yogi	DC. 8.11	
29.	Udai Singh Meena	ATP, Zone-2	
30.	S.K. Bisaria	EnEn- Elect IV	
31.	B.S. Rathore	XEN-22	
32.	Nirmal Goyal	EE PRN	
33.	Gaurav Sharma	ATP-20-3	
34.	Shabram Khan	ATP-11	
35.	Sita Ram Meena	DP PR	
36.			
37.			
38.			
39.	PWC की दिनांक 06/03/2021 को हुई मीटिंग के मिनट्स, जिसमें ज़ोन के		
40.	उपायुक्त श्री अबू सुफियान चौहान स्वयं उपस्थित थे और इस कारनामे को		
41.	अंजाम दिया		
42.			
43.			

C:\User\Administrator\Desktop\PWC\Attendance Sheet.doc

- 2 -

## जवाब मांगते सवाल?

- सरकार के आदेशों के बावजूद एक दलाल/भूमाफिया( सवर्ण कास्ट) की पॉवर ऑफ़ अटोर्नी के आधार पर मुआवजे की फाईल क्यों चलायी गयी?क्यों जे.डी.ए. के उच्चाधिकारियों ने दलाल की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं किये?
- आखिर क्यों अनुसूचित जाति के निरक्षर व्यक्तियों के निरक्षर व्यक्तियों को जारी किये गए निशुल्क पट्टों के पीछे इस दलाल की फोटो चस्पा की गयी और लीजधारक के रूप में इस दलाल ने हस्ताक्षर किये?जबकि इस पट्टे पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ और जिम्मेदार RAS अबू सुफियान चौहान ने स्वयं मौजूद होकर हस्ताक्षर किये थे?
- क्या दलाल को अनुसूचित जाति के निरक्षर व्यक्तियों पर विश्वास नहीं था कि वह पट्टे मिलने के बाद उसे जमीन का कब्ज़ा देंगे या फिर अन्य व्यक्तियों को ऊँचे दामों पर आगे बेचने के लिए आसानी से सहमत हो जायेंगे?
- आखिर क्यों ज़ोन-9 के अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के निरक्षर व्यक्तियों को जारी किये गए अवाडों के बाद प्रोजेक्ट वर्क कमिटी( PWC ) की 06/03/2020 को हुई मीटिंग में रिप्लानिंग करवाई गयी?
- रिप्लानिंग से पहले इन अनुसूचित जाति के भूखंडो की क्या भौतिक स्थिति थी और रिप्लानिंग के बाद उनकी क्या भौतिक स्थिति कर दी गयी?
- क्या जे.डी.ए. के अधिकारियों की यह हरकत भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगी?
- क्या विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखने की हिम्मत करेगा?
- क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी?
- जे.डी.ए. के कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी इस भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा चुके हैं?
- अब तक यह जमीने कितनी बार किन-किन व्यक्तियों को बिक चुकी है?क्या है उन लोगो के राजनैतिक रसूखात?
- क्या शर्तों के उल्लंघन पर यह जमीने पुनः राज्य सरकार में निहित नहीं हो जाएगी?
- क्या जे.डी.ए. राज हित में इन जमीनों को पुनः वापस लेने के लिए कार्यवाही करेगा?

इन मामले में अन्य खुलासे अगले रिपोर्ट में....